

**मध्य प्रदेश शासन  
वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय,  
वल्लभ भवन, भोपाल— 462 004**

क्रमांक एफ ए 3-41/2017/1/पांच

भोपाल, दिनांक 21/08/2018

प्रति,

नियंत्रक,  
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,  
मध्यप्रदेश, अरेरा हिल्स,  
भोपाल।

**विषय:-** मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र0 एफ ए 3-41/2017/1/पांच (47) दि. 30.06.2017 एवं एफ ए 3-41/2017/1/पांच (56) दि. 29.06.2018 में संशोधन के संबंध में अधिसूचना जारी करने वाबत्।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में विभाग द्वारा प्रस्तावित विषयांकित अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-41/2017/1/पांच (73) के हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रारूप की प्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित हैं।

2/- निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) अंक दिनांक 21 अगस्त, 2018 में करने का कष्ट करें। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन म0प्र0 असाधारण राजपत्र में किए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई, जिसकी प्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

**संलग्न:-** उपरोक्तानुसार।

— ३० —  
(अरूण परमार)  
उप सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
वाणिज्यिक कर विभाग

पृ० क्रमांक एफ ए 3-41/2017/1/पांच

भोपाल, दिनांक 21/08/2018

**प्रतिलिपि:-**

- 1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मुख्यालय इन्डौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2. संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, भोपाल संभाग—एक भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि किसी तकनीकी अधिकारी को नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में भेजकर प्रूफरिडिंग कराने का कष्ट करें।

उप सचिव २५/८/१८  
मध्य प्रदेश शासन,  
वाणिज्यिक कर विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462 004

-: अधिसूचना :-

भोपाल, दिनांक 21/08/2018

क्रमांक एफ ए 3-89/2017/1/पांच (73) राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 11 की उप-धारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद की सिफारिश पर ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-41/2017/1/पांच (47) दिनांक 30 जून, 2017 और अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-41/2017/1/पांच (56) दिनांक 29 जून, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, "30 सितम्बर, 2018" अंकों और शब्द के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितम्बर, 2019" रखा जाएगा।

2. यह अधिसूचना 6 अगस्त, 2018 से प्रवृत्त हुई मानी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(अरुण परमार)  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
वाणिज्यिक कर विभाग

मध्य प्रदेश शासन  
वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय,  
वल्लभ भवन, भोपाल— 462 004

क्रमांक एफ ए 3-41/2017/1/पांच

भोपाल, दिनांक 21/08/2018

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-41/2017/1/पांच (73), दिनांक 21 अगस्त, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(अरुण परमार)  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
वाणिज्यिक कर विभाग

Government of Madhya Pradesh  
Commercial Tax Department  
Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal - 462004

**NOTIFICATION**


Bhopal, Dated : 21/08/2018

F A 3-41/2017/I/V (73) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in this department's notification No. F A-3-41/2017/I/V(47)- 2017 dated 30th June, 2017 and No. F A-3-41/2017/I/V(56) dated 29.06.2018, namely:-

In the said notification, for the figures, letters and words "30<sup>th</sup> day of September, 2018", the figures, letters and words "30<sup>th</sup> day of September, 2019" shall be substituted.

2. This notification shall deemed to have come into force w.e.f. 6<sup>th</sup> of August, 2018.

By Order and in the name of  
Governor of Madhya Pradesh

  
(Arun Parmar)  
Deputy Secretary  
Govt. of Madhya Pradesh  
Commercial Tax Department